Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में अंग प्रत्यारोपण से संबंद्ध कार्मिक एवं दलाल को एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में 70 हजार रुपये रिश्वत लेते–देते पकड़ा**
- **अंग प्रत्यारोपण मामलों में एन.ओ.सी. जारी करने की एवज में हो रहा था, रिश्वत का लेनदेन**
- **आरोपियों द्वारा बिना कमेटी की बैठक हुये ही फर्जी हस्ताक्षरों से जारी किये जा रहे थे एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र**

जयपुर, *01 अप्रेल, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज सूत्र–सूचना को ए.सी.बी. की तकनीकी शाखा द्वारा विकसित किया जाकर कल देर रात एस.एम.एस. अस्पताल में कार्यवाही करते हुये **गौरव सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर एवं अनिल जोशी अंग प्रत्यारोपण समन्वयक, ई. एच.सी.सी. अस्पताल, जयपुर** को **70 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में लेते–देते पकड़ा है। प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर एक अन्य आरोपी **विनोद अंग प्रत्यारोपण समन्वयक, फोर्टिस अस्पताल, जयपुर** को भी पकड़ा गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि एस.एम.एस. अस्पताल में पदस्थापित किसी कार्मिक द्वारा दलालों से मिलीभगत कर अंग प्रत्यारोपण के फर्जी एन.ओ.सी. सर्टिफिकेट, बिना कमेटी की बैठक के जारी किये जा रहे हैं, जो कमेटी द्वारा अधिकृत नहीं किये गये हैं।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरविजन में एसीबी की तकनीकी शाखा एवं जयपुर नगर तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन गोपनीय रूप से किया गया। ए.सी.बी. टीमों द्वारा कल देर रात एस.एम.एस. अस्पताल में कार्यवाही करते हुए आरोपी **गौरव सिंह** सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर एवं **अनिल जोशी** अंग प्रत्यारोपण समन्वयक, ई.एच.सी.सी. अस्पताल, जयपुर को **70 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में लेते–देते पकड़ा है। मौके पर आरोपियों के पास से तीन फर्जी एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र भी बरामद किये गये हैं। **गोपनीय सत्यापन एवं अनुसंधान के आधार पर आरोपी गौरव सिंह, अनिल जोशी व विनोद को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।**

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**